राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(18)आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्व)/2017–18/ **दिनांक :**

परिपत्र

विषय : पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 में किये गये वेतन नियतनों का एरियर भुगतान बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा संशोधित बजट 2017–18 में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के कारण बढ़े हुए वेतन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है।

विभाग द्वारा सभी अधीनस्थ कार्यालयों को बढ़े हुए वेतन एवं माह अक्टूम्बर 2017 से फरवरी, 2018 तक के एरियर आदि को ध्यान में रखते हुए बजट आवंटन भी किया जा चुका है, परन्तु विभिन्न बजट शीर्षो के अन्तर्गत "01–संवेतन" में हुए व्यय का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अनेक कार्यालयों द्वारा अभी तक एरियर राशि के बिल आहरित नहीं किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 की समाप्ति की ओर अग्रसर है। अतः सभी अधिनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि जिन कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 में वेतन नियतन किया जा चुका है, उनका माह अक्टूम्बर, 2017 से फरवरी, 2018 तक के एरियर राशि का भुगतान भी इसी वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराया जाना सुनिश्चित करावें। इस हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता प्रतीत होती है तो अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगत कराने का श्रम करें।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 में नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों का नियमितिकरण भी हो गया है/हो रहा है। अतः ऐसे कृषि पर्यवेक्षक, जिनके नियमितिकरण आदेश जारी हो गये है, उनका वेतन एरियर भी इसी वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराया जाना सुनिश्चित करावें।

Sd/-
(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3(18)आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्व)/2017–18/ 8858-9019 **दिनांक :** 08-03-2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्राचार्य राज्य स्तरीय कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड ....।
3. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/(रसायन)/(गुण नियंत्रण)/(शष्य) ....।
4. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) ....।
5. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)/(वनस्पति) ....।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड एवं समस्त कार्यालयों की विभागीय ई–मेल पर प्रेषित करने हेतु।

(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार, कृषि